विवरणी

अभिलेख उपरथापित। अवैध/संदिग्ध जंगल झाड़ी भूमि के

05/08/20 जमाबन्दीदार सुकरा खड़िया पिता - बोडो खड़िया, ग्राम-बोलबा को खास नोटिस निर्गत किया गया था जो अभिलेख में संलग्न है। जंगल झाड़ी भूमि के जमाबन्दीदार के पोता इशीदोर सोरेंग द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगत जंगल झाड़ी भूमि ग्राम बोलबा खाता सं० 49 प्लॉट सं० 591 रकबा 0.90 ए० भूमि का वर्ष 1996-97 का लगान रसीद प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान इशीदोर सोरेंग अपना लिखित रूप में आवेदन किया है कि उनके पास लगान रसीद के अतिरिक्त अन्य कोई कागजात नहीं है। राजस्व उप निरीक्षक/ अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है, अवलोकन किया गया।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया हे कि पंजी ii में दर्ज जंगल झाड़ी भूमि के संदिग्ध/अवैध जमावन्दीदार के नाम से जमावन्दी कायम होने का आधार एवं खेसरा संख्या दर्ज है। रा0उ0नि0 एवं अं0नि0 ने जमावन्दी रद्द करने हेतु अनुशंसा किया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि सुकरा खड़िया पिता - बोडो खड़िया, ग्राम - बोलबा के नाम से चल रही निम्नांकित जंगल झाड़ी के जमाबन्दीदार संदिग्ध/अवैध जान पड़ता है :-

मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा
1	2	3	4	5
बोलबा	60	49	591	0.90 ए०

अतः मुख्य सचिव, झारखण्ड राँची का पत्रांक 2074/रा0, दिनांक 13.05.2016, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 6144/रा0 दिनांक 21.12.2020 के कंडिका–5 के उप कंडिका II(ii) एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/रा0 दिनांक 15.07.2020 के आलोक में विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 के धारा 4(h) के आधार पर जमाबंदी रद्द किया जाता है।

लेखापित

(हस्ताक्षर)

अंचल अधिकारी,
बोलवा।

(हस्ताक्षर)

अंचल अधिकारी,
बोलवा।

Scanned with CamScanner